न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-55RAAJodhpur2025-30RTA223 Kumbharam ors Vs Khamaram etc

01. कुंभाराम पुत्र रूगाराम
02. पुरखाराम पुत्र रूगाराम
03. मुकनाराम पुत्र रूगाराम
    जातियान–जाट निवासीगण उदय नगर, देणोक, तहसील आऊ जिला फलौदी राजस्थान।

अपीलाण्ट्स.....

ब
ना
म

1. खमाराम पुत्र श्री समेलाराम जाति–जाट निवासी उदय नगर, देणोक, तहसील आऊ जिला फलौदी राजस्थान।
2. राजु पुत्री श्री रूगाराम उर्फ अजीता राम, पत्नी श्री अलसा राम, जाति–जाट निवासी–चाखु तहसील घंटियाली जिला फलौदी राजस्थान।
3. अमूराम पुत्र रूगाराम
4. गोरखाराम पुत्र रूगाराम
5. बाबूराम पुत्र रूगाराम
6. भबूताराम पुत्र रूगाराम,
   सभी जातियान–जाट निवासीगण उदय नगर, देणोक, तहसील आऊ जिला फलौदी राजस्थान।
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आऊ जिला फलौदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसंबर 2024 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 74/2023 खमाराम बनाम अजीताराम के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित–
श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2023 अनवान खमाराम बनाम अजीताराम के कायम मुकाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 फरवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 527 रकबा 5.2528 हैक्टेयर ग्राम उदयनगर पटवार हल्का देणोक तहसील आऊ के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 दिसंबर 2024 के जरिये वादी/रेस्पो. संख्या एक का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर विधिनुसार सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की कब व कैसे तामील करवायी, उक्त तथ्य आदेशिका में कही पर भी स्पष्ट नही किया गया, जबकि किसी भी पक्षकार की प्रोपर तामील होने के बाद ही व पक्षकार उपस्थित नही होता है तो उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है, जबकि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील ही नही हुई थी जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है। इस तरह अधिनस्थ न्यायालय ने तामील प्रक्रिया की पालना किये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने अपने वाद के समर्थन में न तो साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया एवं न ही दस्तावेज प्रदर्श करवाये, साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श के अभाव में कोई भी दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कानूनन डिक्री नही किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं कानूनी प्रकिया का भली भांति अवलोकन किये बिना ही मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि, कानून एवं प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरित तथा मनमाना होने के कारण निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जो से उन्हें समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 28.01.2025 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी देने पर प्रथम जनकारी हुई। तब अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल लेकर जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2023 अनवान खमाराम बनाम अजीताराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसंबर 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला पुनः विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्सें में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में हिस्से गलत दर्ज होने अथवा हिस्सों में परिवर्तन का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनके कथनों की पुष्टि हो सके। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री कं जरिये वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 527 रकबा 5.2528 हैक्टेयर ग्राम उदयनगर पटवार हल्का देणोक तहसील आऊ में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान काश्कारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल/परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा भीं हक हिस्से परिवर्तित होने के संबंध में किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हे।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2023 अनवान खमाराम बनाम अजीताराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसंबर 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार आऊ को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में विधिनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर(पूर्व में तैयार किया हुआ तो पुनःउभय पक्ष की उपस्थिति में नये सिरे से तैयार करे) विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का न्यायोचित निस्तारण करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-55RAAJodhpur2025-30RTA223 Kumbharam ors Vs Khamaram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. कुंभाराम पुत्र रूगाराम 02. पुरखाराम पुत्र रूगाराम 03. मुकनाराम पुत्र रूगाराम जातियान–जाट निवासीगण उदय नगर, देणोक, तहसील आऊ जिला फलौदी राजस्थान।	ब ना म	1. खमाराम पुत्र श्री समेलाराम जाति–जाट निवासी उदय नगर, देणोक, तहसील आऊ जिला फलौदी राजस्थान। 2. राजु पुत्री श्री रूगाराम उर्फ अजीता राम, पत्नी श्री अलसा राम, जाति–जाट निवासी–चाखु तहसील घंटियाली जिला फलौदी राजस्थान। 3. अमूराम पुत्र रूगाराम 4. गोरखाराम पुत्र रूगाराम 5. बाबूराम पुत्र रूगाराम 6. भबूताराम पुत्र रूगाराम, सभी जातियान–जाट निवासीगण उदय नगर, देणोक, तहसील आऊ जिला फलौदी राजस्थान। 7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आऊ जिला फलौदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसंबर 2024 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 74/2023 खमाराम बनाम अजीताराम के कायम मुकाम इत्यादि

यह अपीले बतारीख 27 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला, मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2023 अनवान खमाराम बनाम अजीताराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसंबर 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार आऊ को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में विधिनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर(पूर्व में तैयार किया हुआ तो पुनःउभय पक्ष की उपस्थिति में नये सिरे से तैयार करे) विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का न्यायोचित निस्तारण करे / खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ———00———) रूपये ——————00—————— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ———00———— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 27 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर